न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 196/2024 निर्णय दिनांक 16.04.2026
जीसीएमएस नम्बर 2024/405
कविता पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी आडसर बास श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
2. भागूराम पुत्र पुरालाल जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 131, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से दावा निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि वादीनी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1290/640 तादादी 0.1265 हैक्टेयर रोही जैतासर में स्थित है जो वादीनी ने जरिये विक्रय पत्र खरीद किया है वादीनी के खेत के चारो तरफ सीमा कायम है। वादीनी ने उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 640 के दक्षिणी तरफ में सड़क पर 0.1265 हैक्टेयर भूमि खरीद की थी। जिसकी राजस्व कर्मचारियो ने तरमीम करते समय मौके के विपरीत पूर्वी तरफ में कर दी जो मौके कब्जे के विपरीत है। वादीनी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादीनी को पता चला कि वादगत खेत का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खेतों की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी है जिसको सही करवाने के लिए वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादीनी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी जिससे वादीनी के खेत के राजस्व अक्श में एवं मौके कब्जे में काफी अन्तर हो गया है वादीनी के खेत के राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है। वादीनी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादीनी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादीनी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादीनी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादीनी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने से वादीनी को कई तरह की परेशानिया आती है । वादीनी अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने की अधिकारी है। वादीनी के खेत नक्शा सीट में मौके एवं कब्जे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में तरमीम करवाने हेतु प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 16.08.2024 को वादीनी की भूमि की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। यही वाद कारण वादीनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसमें स्टेट को पक्षकार भूमिधारी होने से बनाया गया है। स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 (1) सीपीसी के नोटिश की छूट हेतु धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश किया जा रहा है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है । दावा श्रीमान् जी के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्त्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार में है । अतः दावा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार आदेशित फरमावें।

(क) यह है कि वादीनी के खेत खसरा नंबर 1290/640 तादादी 0.1265 हैक्टेयर रोही जैतासर की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें ।

(ख) यह है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादीनी के खसरा नम्बर 1290/640 तादादी 0.1265 हैक्टेयर रोही जैतासर की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें ।

(ग) यह है कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीनी हो या दोराने दावा हो जावे वो भी प्रदान किया जावें ।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर ईकबाल जवाबदावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में कविता का शपथ पत्र किया गया। वादिनी के बयान लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिया गया। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं प्रतिवादी संख्या 2 को वादी वाद स्वीकार करनें में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 1290/640 तादादी 0.1265 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौका स्थिति के नजरी नक्शानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का की मौका स्थिति का नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम् शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

कविता पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 2. भागूराम पुत्र पुरालाल जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

निर्णय दिनांकः 16.04.2026

मुकदमा नम्बर 196/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज एवं श्री के.के पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 1290/640 तादादी 0.1265 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौका स्थिति के नजरी नक्शानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का की मौका स्थिति का नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी......... तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 16 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)